संख्या : भा0स0–107 / 69–1–10–14(119) / 07

प्रेषक,

डा0 नवनीत सहगल,
सचिव
उ0प्र0,शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

लखनऊः दिनाँक 02 जुलाई, 2010

विषयः– स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक शहरी सामुदायिक नेटवर्क (UCDN) के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के संबंध में मार्ग निर्देश।

महोदय,

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सामुदायिक विकास और अधिकारिता (Empowerment) आधारित योजना है जिसमें टॉप–डाउन कार्यान्वयन के बजाए सामुदायिक सहभागिता के आधार पर क्रियान्वयन हेतु सामुदायिक संगठनों और अवसंरचनाओं के गठन और पोषण पर बल दिया गया है जिससे सतत् शहरी गरीबी उपशमन मे सहायता मिलेगी। इसके लिए लक्षित क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों जैसे परिवेश दलों (NHG) परिवेश समितियों (NHC) और सामुदायिक विकास सोसाइटियों (CDS) को स्थापित किया जाना है, जो निम्नवत् है :–

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत गठित किये जाने वाले समुदाय आधारित ढाचे समुदाय आधारित संगठनों में परिवेश दल (एनएचजी), परिवेश समितियां (एनएचसीज) और समुदाय विकास सोसाइटी (सीडीएस) शामिल है।

I. परिवेश दल (एनएचजी)

यह मोहल्ला अथवा बस्ती या परिवेश में रह रही महिलाओं की एक समुचित आकार की अनापैपचारिक एसोसिएशन है।(इसमें 10 से 40 तक महिलाएं होती है जो शहरी गरीब / स्लम परिवारों की होती है)इन एनएचजी की परिधि / सीमा क्षेत्र का आधार भौगोलिक रूप से सटा हुआ होगा और समरूपता वाला होना चाहिए। उनमें से कम से कम एक निवासी महिला, जो स्वयसेवक के रूप में सेवा करने की इच्छुक हो, को समुदाय आम सहमति अथवा चुनाव या किसी अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निवासी समुदाय स्वयंसेवक(आरसीवी)के रूप में चुना जाना चाहिए। ऐसे स्वयं सेवकों का आवधिक अन्तराल के लिए (यदि आवश्यक हो तो)परिवर्तन होना अथवा क्रमिक रूप से सेवा ली जानी चाहिए। आरसीवी के दायित्वों में यह शामिल है :–

i. झुग्गी–झोपड़ी समूह में परिवारों के मध्य सूचना और संचार के सूत्र के रूप में कार्य करना।

ii. परिवेश समितियों और समुदाय विकास समितियों तथा अन्य मंचों में दल के विचारों को रखना।

iii. परिवेश स्तर पर कार्य कलापों की योजना बनाने,कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग में सहायता करना।

क्रमशः 2/

iv. सामुदायिक सुधार कार्यक्रमों में सहभागिता और स्व–सहायता,आपसी सहायता का पोषण और प्रोत्साहन। और

v. स्व–सहायकता समूह/मितव्यय और ऋण समिति के सदस्य बनने के लिए और समुदाय विकास कोष में अंशदान हेतु समुदाय को अभिप्रेरित करना।

II. <u>परिवेश समितियां(एनएचसी)</u>

परिवेश समिति(एनएचसी)उपर्युक्त परिवेश दलों के समीपवर्ती इलाकों तथा जहां तक व्यवहार्य हो उसी मतदाता वार्ड से महिलाओं की एक अधिक औपचारिक एसोसिएशन है। समिति में परिवेश दलों से सभी आरसीवी,एनएचसी के कार्यकारी(वोट देने के अधिकार वाली) सदस्य के रूप होगी। इसमें अवैतनिक सदस्यता बिना वोट देने के अधिकार के समुदाय आयोजकों(सीओज),समुदाय में अन्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के प्रतिनिधियों यथा आईसीडीएस पर्यवेक्षकों,स्कूल अध्यापक, शहरी सोशल हेल्थ ऐक्टिविस्ट,एएनएम आदि के लिए भी व्यवस्था है। एनएचसी के संयोजक/अध्यक्ष एनएचसी के कार्यकारी सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे। संयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवेश समिति की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। एनएचसी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :–

i. स्थानीय समस्याओं और प्राथमिकताओं की पहचान करना।

ii. सामुदायिक आवश्यकताओं और लक्ष्यों (छोटी योजनाएं)को पूरा करने में सहभागी दलों के लिए सुझाव देना।

iii. सामुदायिक ठेकों सहित उत्तरदायी एजेंसियों को सहभागिता के साथ स्थानीय कार्रवाई सहायता।

iv. एजेन्सियों को कार्यक्रम के प्रभाव व पहुँच, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के संबंध में, के बारे में फीडबैक देना।

v. समुदाय संगठकों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य क्षेत्र के विभागों की सहभागिता से प्रशिक्षण के माध्यम से समुदाय क्षमता विकसित करना।

vi. समुदाय आधारित मित्तव्यय तथा ऋण प्रणाली तथा परिवेश विकास कोष विकसित करना।

vii. लाभार्थियों से समय पर ऋण वसूली को सुगम बनाना।

viii. दिशा निर्देशों के अनुसार समुदाय सर्वेक्षण में सहायता देना/उन्हें चलाना।

एनएचसी समितियां यदि चाहें तो पंजीकरण अधिनियम अथवा अन्य समुचित अधिनियमों के तहत पंजीकृत करा सकती है। यदि पंजीकृत हो जाता है तो ये एनएचसी भी विभिन्न स्कीमों के तहत अनुदान सहायता के लिए आवेदन कर सकती है।

III. <u>सामुदायिक विकास सोसाइटी(सीडीएस)</u>

सीडीएस, सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों पर आधारित,कस्बा स्तर पर सभी परिवेश समितियों की एक औपचारिक एसोसिएशन है। सीडीएस में एनएचसीज के चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकारी सदस्य (वोट अधिकार वाले) के रूप में और अवैतनिक सदस्यता वाले सदस्य (बिना वोट के अधिकार के) जिसमें समुदाय आयोजक, एनजीओज के प्रतिनिधि, क्षेत्रगत विभाग, प्रतिष्ठित नागरिक, क्षेत्र के चुने गये प्रतिनिधि और अन्य प्रभावी व्यक्ति होंगे। समुदाय विकास समिति (सीडीएस) समितियां पंजीकरण अधिनियम अथवा अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत होनी चाहिए जो विभिन्न स्कीमों के तहत अनुदान सहायता लेने और व्यापक वित्तीय तथा ऋण आधार के लिए सक्षम होगी। सीडीएस निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी।

i. समग्र समुदाय के लिए आवश्यकताओं विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए प्रतिनिधित्व।

ii. समुदाय के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई प्रोन्नत करने के लिए एजेंसियों और विभागों से सम्पर्क/बातचीत करना।

क्रमशः.....3/

iii. विशेष प्रशिक्षण जरूरतों की पहचान और अपने संगठनों के क्षमता वद्धि की व्यवस्था करना।

iv. आर्थिक और आश्रय के लाभ हेतु वास्तविक लाभार्थियों की पहचान कराने हेतु समुदाय सर्वेक्षण करवाने हेतु सहायता।

v. समुदाय विकास योजनाओं और प्रस्तावों को तैयार करना तथा समुदाय,कस्बा अथवा अन्य क्षेत्र के विभागों से इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाना।

vi. लाभार्थियों से समय पर ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए शहर/कस्बा यूपीए प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करके बैंक को मदद देना।

vii. शहर/कस्बा यूपीए प्रकोष्ठ और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)के साथ परामर्श करके कम आय वाले क्षेत्रों में छोटी समुदाय परिसम्पत्ति सृजित करना।

viii. जेएनएनयूआरएम और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत समुदाय भागीदारी कोष/समुदाय विकास नेटवर्क से सहायता हेतु प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक ढ़ाचे स्व–प्रबन्धकीय होंगे तथा उनमें बुनियादी अवस्थापना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और जीवन यापन, थ्रिफ्ट और क्रेडिट आदि जैसी गतिविधियों के प्रभारी स्वयं सेवक हो सकते हैं।

SJSRY के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान, ऋणु और सब्सिडी, प्रार्थना पत्रों की तैयारी, ऋणुवसूली की जांच और कार्यक्रम हेतु आवश्यक किसी भी तरह की सहायता हेतु CDS केन्द्र बिन्दु होगा। सी0डी0एस0 क्षेत्र हेतु समुचित व्यवहार्य परियोजनाओं की भी पहचान करेगा। महिला स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है जो CDS के द्वारा की जायेगी।

सामुदायिक बचत और अन्य समूह क्रिया–कलापों को प्रोत्साहित करने हेतु, सामुदायिक अवसंरचानाएं स्वयं को स्व–सहायता समूहों(एनएचजी)/थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी के रूप में स्थापित कर सकती है। तथापि स्व–सहायता समूह और थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी सीडीएस से अलग रूप में भी स्थापित की जा सकती है। सीडीएस,विभिन्न सामुदायिक आधारित संगठनों का संघ होने के नाते, स्व–सहायता समूहों और थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट के प्रमोशन हेतु नोडल एजेंसी हो सकती है। यह आशा की जाती है कि सीडीएस अपने क्षेत्र में शामिल सामाजिक क्षेत्र के समग्र समूह पर बल देगा परन्तु यह बल विभिन्न सीमा विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के बीच अभिसरण द्वारा स्थापित आजीविका, कौशल विकास,आश्रय, जल, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा कल्याण इत्यादि तक ही सीमित नहीं होगा।

सामुदायिक संरचनाओं तथा समुदाय विकास नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए यू0सी0डी0एन0 घटक के तहत अलग से धनराशि अवमुक्त की गई है जिसके अन्तर्गत निम्नांकित गतिविधियों के आयोजन में धनराशि का उपयोग किया जा सकता है :–

- सी0डी0एस0/सामुदाय संघटकों का मानदेय भुगतान।
- सामुदायिक संगठनों/अवसंरचनाओं हेतु जागरूकता शिविर।
- कार्यशाला/सेमीनार/सम्मेलन/बैठकों एवं सखी दिवसों का आयोजन।
- सामुदायिक जागरूकता एवं योजना को वांछित लाभार्थियों तक पहुँचाने हेतु सामुदायिक एकत्रीकरण मशीनरी जिसमें सामुदाय आधारित संगठन तथा अन्य हितबद्ध पक्ष शामिल है।
- सी0डी0एस0 के विविध रोजमर्रा कार्यकलापों हेतु/जिसमें बैठक हेतु एवं डाक्यूमेंटेशन आदि सम्मिलित है।
- सामुदायिक विकास एवं सशक्तिकरण हेतु अन्य स्थानीय स्तर पर आवश्यक वांछित कार्य।
- स्लम विकास प्लान/शहरी निर्धनता।
- समुदाय स्तर पर माइक्रोप्लान।

क्रमशः.....4/

- सामाजिक आडिट।

UCDN के अन्तर्गत उपरोक्त गतिविधियों के आयोजन हेतु आवश्यक है कि गतिविधि आयोजन से पूर्व विधिवत कार्य योजना जिसमें सम्भावित व्यय भी शामिल हो का निर्धारण कर आयोजित की जाय तथा कार्ययोजना की एक प्रति मुख्यालय को भी आयोजन से पूर्व प्रेषित की जाय साथ ही आयोजित गतिविधियों का अभिलेखीकरण भी किया जाय जो प्रत्येक माह की रिपोर्ट के साथ अवश्य भेजी जाय।

भवदीय,

डा0 नवनीत सहगल
सचिव।

सख्या : भा0स0–107(1)/69–1–10–14(119)/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, सूडा को उनके प्रस्ताव पत्रांक–567/241/SJSRY/तीन/2001, दिनांक 01.06.2010 के क्रम में इस निर्देश सहित कि समस्त संबंधितों को अपने स्तर से मार्ग निर्देश भेजते हुये योजना/उपयोजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
3. लेखा अनुभाग, सूडा मुख्यालय को उपयोगार्थ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 नवनीत सहगल)
सचिव।